आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–19 / 2023	
30.05.2023 08/06/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के प्रतिनिधि के रूप में पणन पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने अपने लिखित प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित दस्तावेज आयोग को समर्पित किया। आयोग अपने कार्यालय को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा भेजे गए सम्बन्धित रसीद एवं अन्य ऐसे साक्ष्य जिससे यह प्रमाणित हो रहा हो कि लाभुकों के बीच अनाज वितरित कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित दस्तावेज अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाय। अपीलकर्ता उन दस्तावेजों के विरूद्ध अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहें तो वे लिखित रूप में अपना प्रतिवेदन ईमेल अथवा वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को भेजें एवं अपीलकर्ता के पक्ष पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का पक्ष लेने के लिये अपीलकर्ता का पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को भेज दिया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अपना पक्ष 15 जून, 2023 की सुनवाई में रखेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx70	